कि0 वाद संख्या– 08 / 2024 (सिमरी थाना कांड संख्या–36 / 2022)

(1)

फार्म – ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, बक्सर

(पीठासीन पदाधिकारी–उदय प्रताप सिंह)

निर्णय का दिनांक : 10.03.2026

कि0 वाद संख्या– 08 / 2024

सिमरी थाना कांड संख्या–36 / 2022, अंतर्गत धारा–147,149,341,323,307,379, 504, 506 भा0द0सं0।

सूचक	चन्दन मिश्रा पिता–बलिराम मिश्रा साकिन–चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर।
अभियोजन की तरफ से	श्री जय राम सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. शिवशंकर गोंड उम्र लगभग 47 वर्ष पिता बलिराम मिश्रा 2. विजय शंकर गोंड उम्र लगभग 57 वर्ष पिता स्व0 गर्जन गोंड 3. सुमन गोंड उम्र लगभग 31 वर्ष पिता– शिवशंकर गोंड 4. मिथिलेश गोंड उम्र लगभग 27 वर्ष पिता– शिवशंकर गोंड 5. राहुल गोंड उम्र लगभग 27 वर्ष पिता–विजय शंकर गोंड 6. मुन्ना गोंड उिम्र लगभग 35 वर्ष पता–विजय शंकर गोंड 7. राजगृही गोंड उम्र लगभग 71 वर्ष पिता–पराहू गोंड 8. खखनु गोंड उम्र लगभग 44 वर्ष पिता–इन्द्रदेव गोंड 9. प्रभावती देवी उम्र लगभग 50 वर्ष पति–शिवशंकर गोंड 10. असरफी देवी उम्र लगभग 60 वर्ष पति–विजयशंकर गोंड 11. संजू देवी उर्फ अनु देवी उम्र लगभग 52 वर्ष पति–योगेन्द्र गोंड सभी साकिन– चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर।
बचाव पक्ष की तरफ से	1. श्री जितेन्द्र प्रकाश सिंह, विद्वान अधिवक्ता (अभियुक्तगण की ओर से)

फार्म – बी

घटना की तारीख	23.01.2022
प्राथमिकी की तिथि	24.01.2022
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	15.07.2022
संज्ञान की तिथि	25.01.2023
आरोप गठित किये जाने की तिथि	29.10.2024 (आरोप का सारांश सुनाया गया)।

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	04.02.2025
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	24.02.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	N.A.

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

अभियुक्तों की संख्या	11
अभियुक्तगण का नाम	1. शिवशंकर गोंड, 2. विजय शंकर गोंड, 3. सुमन गोंड, 4. मिथिलेश गोंड, 5. राहुल गोंड, 6. मुन्ना गोंड, 7. राजगृही गोंड, 8. खखनु गोंड, 9. प्रभावती देवी, 10. असरफी देवी, 11. संजू देवी उर्फ अनु देवी,
गिरफ्तारी की तिथि	अभियुक्त मिथिलेश गोंड, राहुल गोंड,मुन्ना गोंड, राजगृही गोंड दिनांक 13.05.2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, अभियुक्त शिवशंकर गोंड, विजय शंकर गोंड, खखनु गोंड, सुमन गोंड दिनांक 18.05.2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं अभियुक्त प्रभावती देवी, असरफी देवी,संजू देवी उर्फ अनु देवी दिनांक 05.11.2023 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	अभियुक्त मथिलेश गोंड, राहुल गोंड, मुन्ना गोंड, राजगृही गोंड को दिनांक 13.05.2022 को न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया, अभियुक्त शिवशंकर गोंड, विजय शंकर गोंड, खखनु गोंड, सुमन गोंड को दिनांक 18.05.2022 को न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया एवं अभियुक्त प्रभावती देवी, असरफी देवी,संजू देवी उर्फ अनु देवी दिनांक 05.11.2023 को न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया
आरोपित धारा	अभियुक्तों पर धारा 323, 341, 504 / 34 भा0द0सं0
क्या अभियुक्तों दोषमुक्त किया गया	**दोषमुक्त**

है या दोष–सिद्ध किया गया है	
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	N.A.

फार्म – सी
अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

(क) अभियोजन :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या–01	चंदन मिश्रा	
अभियोजन साक्षी संख्या–02	रविरंजन मिश्रा	
अभियोजन साक्षी संख्या–03	सर्वदेव मिश्रा	

(ख) बचाव पक्ष साक्षी :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय साक्षी :

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य / पुलिस साक्षी / विशेषज्ञ साक्षी / मेडिकल साक्षी / पंच साक्षी / अन्य साक्षी
NIL	NIL	NIL

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

(क) अभियोजन : प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–पी0–1 / पी0 डब्लू–1	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।

(ख) बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

(ग) न्यायालय प्रदर्श :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

(घ) वस्तु प्रदर्श :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त सभी गयारह अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा–323, 341, 504 / 34 भा0द0सं0 से आरोपित किया गया है।

2. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि सूचक चंदन मिश्रा पिता–बलिराम मिश्रा चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर, दिनांक 23.01.2022 को समय करीब 05:30 बजे शाम को उसके ही गॉव के 1. शिवशंकर गोंड पिता बलिराम मिश्रा, 2. विजय शंकर गोंड पिता स्व0 गर्जन गोंड, 3. सुमन गोंड पिता– शिवशंकर गोंड, 4. मिथिलेश गोंड पिता– शिवशंकर गोंड, 5. राहुल गोंड पिता–विजय शंकर गोंड, 6. मुन्ना गोंड पिता–विजय शंकर गोंड, 7. राजगृही गोंड पिता–पराहू गोंड, 8. खखनु गोंड पिता–इन्द्रदेव गोंड सभी साकिन–चुन्नीटांड, थाना–सिमरी, जिला–बक्सर के गाली गलौज करते हुए लाठी, डंडा से मारने पीटने लगे। मारपीट के हल्ला सुनकर सूचक के चाचा के लड़का रविरंजन मिश्रा एवं उसके पुत्र मनजी मिश्रा बचाने हेतु आए तो सभी लोग मिलकर लाठी, डंडा से मारने लगे, जिसे रविरंजन मिश्रा को मिथलेश गोंड ने अपने हाथ में लिए डंडा से मारे जिसे सर फट कर खून बहने लगा तथा जान मारने के नियत से सभी लोग मिलकर धमकी देते हुए बोले इन सभी को जान मार दो। पीछे अमृता कुमारी पिता–शिवशंकर गोड, प्रभावती देवी पति–शिवशंकर गोंड, असरफी देवी पति–विजयशंकर गोंड, अनु देवी पति–योगेन्द्र गोंड सभी लोग ईट पत्थर चालने लगी। झगड़ा के क्रम में उसके गले से सोने का चैन सुमन गोंड नोच कर ले लिए। झगड़ा का कारण है कि बच्चों को लेकर खेलने के क्रम में मारपीट किये है। इसी बात को पूछने को लेकर हुआ था। ये सब झगड़ा का बात विवाद ग्रामिण स्तर पर समझौता हो रहा था लेकिन ये सभी लोग नहीं माने जिनके कारण दिनांक 24.01.2022 को आवेदन दे रहा हूँ।

3. सूचक के उपरोक्त टंकित आवेदन के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सिमरी थाना कांड संख्या–36 / 2022, अंतर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 307, 379, 504, 506 भा0द0सं0 के तह्त दर्ज की गयी और पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया गया। मामले का अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र

सं0–354 / 2022 दिनांक–15.07.2022 अंतर्गत धारा 147, 149, 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया। दाखिल किये गये उपरोक्त मूल आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. विचारण के क्रम में, अभियुक्त के विरूद्ध दाखिल किए गए उपरोक्त आरोप पत्र एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर भा0द0स0 की धारा–323, 341, 504 / 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। विरचित किया गया आरोप न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तों ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और न्यायिक विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष का मौखिक साक्ष्यः– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की गयीः–

- अभियोजन साक्षी संख्या–01, सर्वदेव मिश्रा
- अभियोजन साक्षी संख्या–02, रविरंजन मिश्रा
- अभियोजन साक्षी संख्या–03, चंदन मिश्रा

6. अभियोजन पक्ष का दस्तावेजी साक्ष्यः– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज को साबित करा कर प्रदर्श अंकित कराया गया है।

- प्रदर्श–पी0–1 / पी0 डब्लू–1 : लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।

7. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य– इस वाद में बचाव पक्ष द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. अभियुक्त की परीक्षा अर्न्तगत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. की गयी, जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को विस्तारपूर्वक बताया गया कि इस वाद में उनके विरुद्ध कौन–कौन से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और इस विषय में अभियुक्तों क्या कहना चाहतें हैं ? अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इस वाद मे उन पर लगाये गये सभी आरोप गलत है, साक्षियों ने झुठी गवाही दी है, अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा केस दर्ज कराया गया है और वे निर्दोष है, लेकिन झूठा केस दर्ज कराये जाने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्टिकरण अभियुक्तों द्वारा नहीं दिया गया है।

9. पक्षकारों की बहस / तर्क :– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जयराम सिंह ने वाद की संपूर्ण घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए बताया है कि इस वाद में अभियुक्तों के द्वारा सूचक और उसके परिवार के लोगों के साथ मार–पीट एवं गाली–गलौज करने का गंभीर आरोप है जिससे अभियुक्तों के द्वारा बिना किसी संदेह के अपराध का किया जाना साबित होता है। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों मे थोड़ा–बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है क्योंकि घटना के लम्बे अंतराल के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उनकी परीक्षा की गई है।

10. दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रकाश सिंह का कहना है इस मामले में अभियुक्तगण निर्दोष हैं और गलत तथ्यों के आधार पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलीभगत करके सूचक द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनवाया गया है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर अभियुक्तों के विरूद्ध कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध अपना मामला सभी शंकाओं से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्ति के हकदार हैं। संक्षिप्तता के दृष्टिकोण से पक्षकारों की बहस एवं तर्को का विस्तापूर्वक उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, इनका उल्लेख साक्ष्य की विवेचना के साथ किया जाएगा।

11. वाद में अवधारण के बिंदुः– इस वाद के निस्तारण के लिए अवधारण के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैंः–

(ए) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है ?

(बी) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से क्या इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना साबित होता है ?

(सी) दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि कोई हो ।

<u>अभियोजन साक्ष्य का सारांश</u>

12. अभियोजन द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए केवल तीन साक्षी की परीक्षा करायी गयी है। इनमें से **अभियोजन साक्षी सं0–1,** चंदन मिश्रा जो इस केस का सूचक है। अपने मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि घटना दिनांक 23.01.2022 की संध्या करीब 4:30–5:00 बजे बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों ने उसके बच्चों के साथ मार–पीट किये थे। सूचक और रविरंजन मिश्रा को चोट लगी। वे लोग अपना ईलाज सिमरी सरकारी अस्पताल में कराया था। दिनांक 24.01.2022 को सूचक के द्वारा थाने पर एक लिखित आवेदन दिया गया था जिस पर उसका हस्ताक्षर है, सूचक के पहचान पर इसे प्रदर्श–पी–01 / पी0डब्लू–01 अंकित किया गया था। न्यायालय में जो अभियुक्तगण उपस्थित है उनको यह साक्षी पहचानता है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि मुकदमा राजी खुशी से सुलह हो गया है। पलटा केस में भी सुलह हो गया है। ग्रामीण होने के कारण अभियुक्तों को पहचानता है। मुझे गिरने से चोट लगा था किसी ने नहीं मारा था। लिखित आवेदन मुझे पढ़कर सुनाया नहीं गया था इस कारण नहीं बता सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी सं0–2 रविरंजन मिश्रा है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि घटना दिनांक 23.01.2022 की संध्या करीब 5:00 बजे का है। उस समय में बगीचा में क्रिकेट खेल रहा था तो हल्ला सुनकर मैं घटनास्थल पर गया। मनजी मिश्रा और दिनेश गोंड वगैरह के बीच झगड़ा हो रहा था। घटनास्थल पर दिनेश के अलावा विजय शंकर गोंड, शिवशंकर गोंड, राहुल गोंड, मुन्ना गोंड, राजगृह गोंड, खखनू गोंड थे। मैंने बीच

बचाव किया तो मुझे भी चोट लगी। मेरा ईलाज सिमरी सरकारी अस्पताल में हुआ और उसके बाद मेरा ईलाज सदर अस्पताल, बक्सर में भी हुआ था। घटना बच्चों के बीच झगड़ा को लेकर हुआ था। अभियुक्तगण जो आज न्यायालय में उपस्थित है उन्हें मैं पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि मुकदमा राजी खुशी से सुलह हो गया है। अभियुक्तों द्वारा किये गये पलटा केस में भी सुलह हो गया है। ग्रमीण होने के कारण अभियुक्तगण को पहचानता हूँ। मुझे गिरने से चोट लगी थी किसी भी अभियुक्त ने नहीं मारा था। सुलह के आधार पर मुकदमा को समाप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी सं0–3, सर्वदेव मिश्रा है। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी का कहना है घ ाटना दिनांक 23.01.2022 की संध्या करीब 5:00 बजे रहे थे और मैं अपने खेत पर था। बच्चा लोग हल्ला किया तो हम सुनकर आये, देखा कि बच्चों–बच्चों में झगड़ा हुआ है। उसके बाद वहॉ पर विजयशंकर गोंड, शिवशंकर गोंड, सुमन गोंड, मिथलेश गोंड, राहुल गोंड, मुन्ना गोंड, राजगृह गोंड, खखनू गोंड, आ गये। इनके हाथों में लाठी–डंडा था। गाली–गलौज करने लगे। धक्का–मुक्की में चोट लगा था। रविरंजरन मिश्रा, मुझे, चंदन मिश्रा, धनजी मिश्रा को चोट लगा था। हमलोग सिमरी अस्पताल, बक्सर में ईलाज कराये थे। अभियुक्त मिथलेश और राहुल को पहचानता हूँ अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचाना लूगा।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कहा है कि नोटिस पर गवाही देने आया हूँ। मुकदमा आपस में राजी–खुशी से बिना जोर दबाव के सुलह हो गया है। मुझ पर शिवशंकर गोंड केस किये है उसमें भी सुलह हो गया है। धक्का–मुक्की में गिरने के कारण हल्का–फुल्का चोट लग गया था किसी ने मारा नहीं था।

साक्ष्य का विवेचन एवं न्यायालय के निष्कर्षः

अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के पश्चात् अवधारण के बिंदुओं पर इस न्यायालय के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः–

अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी)

15. अवधारण के उपरोक्त दोनों बिंदु एक–दूसरे से सह–संबंधित हैं अतः इन दोनों की विवेचना एक साथ की जायेगी। अवधारण का प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी प्रकार के संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ? चूँकि आपराधिक न्याय प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है कि सिवाय कुछ अपवादजनक परिस्थितियों के जैसा कि विधि द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन को ही अपना मामला बिना किसी संदेह के प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होता है और अभियुक्तों पर अपनी निर्दोषिता साबित करने का कोई भार नहीं होता है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अभियोजन को अपना मामला प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर स्वतः ही साबित करना होता है और बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना

करने या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की कमजोरी के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए। कोई भी ऐसा तथ्य एवं साक्ष्य जो अभियोजन के मामले में संदेह पैदा करता है, अभियुक्तगण उसका फायदा लेने का हकदार होते है।

16. अभियोजन साक्षी सं0–01, जो इस केस की सूचक हैं। अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामलें का आंशिक रूप से समर्थन कर कहा है कि घटना दिनांक 23.01.2022 की संध्या करीब 4:30–5:00 बजे बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों ने उसके बच्चों के साथ मार–पीट किये थे। सूचक और रविरंजन मिश्रा को चोट लगी। वे लोग अपना ईलाज सिमरी सरकारी अस्पताल में कराया था। दिनांक 24.01.2022 को सूचक के द्वारा थाने पर एक लिखित आवेदन दिया गया था जिस पर उसका हस्ताक्षर है, सूचक के पहचान पर इसे प्रदर्श–पी–01 / पी0डब्लू–01 अंकित किया गया था। लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे गिरने से चोट लगा था किसी भी अभियुक्त ने नहीं मारा था। दोनों पक्षों में स्वेच्छा से सुलह हो गया है। साक्षी संख्या–2, नें भी इस मामले में आंशिक रूप से समर्थन कर कहा है कि दिनांक 23.01.2022 की संध्या करीब 5:00 बजे का है। उस समय में बगीचा में क्रिकेट खेल रहा था तो हल्ला सुनकर मैं घटनास्थल पर गया। मनजी मिश्रा और दिनेश गोंड वगैरह के बीच झगड़ा हो रहा था। घटनास्थल पर दिनेश के अलावा विजय शंकर गोंड, शिवशंकर गोंड, राहुल गोंड, मुन्ना गोंड, राजगृह गोंड, खखनू गोंड थे। मैंने बीच बचाव किया तो मुझे भी चोट लगी। मेरा ईलाज सिमरी सरकारी अस्पताल में हुआ और उसके बाद मेरा ईलाज सदर अस्पताल, बक्सर में भी हुआ था। लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कहना है कि उसे भी गिरने के कारण चोट लगी थी उसे किसी भी अभियुक्त ने नहीं मारा था। साक्षी संख्या–3 ने भी घटना के बारे में आंशिक रूप से समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने भी कहा है कि उसे धक्का–मुक्की में गिरने के कारण चोट लगी थी किसी भी अभियुक्त ने नहीं मारा था। पत्रावली पर कोई भी विश्वसनीय साक्षी और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि क्या घटना घटी थी। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष न तो मामलें के अनुसंधानकर्ता की परीक्षा कराई गई हैं और न ही संबंधित चिकित्साधिकारी की परीक्षा कराई गई है जिसके द्वारा जख्मियों का ईलाज किया जाना दर्शाया गया हैं। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं संबंधित चिकित्साधिकारी की परीक्षा न कराये जाने के कारण अभियुक्तगण को अपना बचाव करने के अधिकार पर विपरित प्रभाव कारित हुआ हैं। अभियोजन पक्ष के साक्षी के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है जो अभियोजन के मामलें में संदेह उत्पन्न करता है।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विवेचना से साबित होता है कि इस वाद में कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन का मामला साबित होता हो। अतः इस मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं विचारण के आधार पर इस न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये

साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों द्वारा किसी अन्य अपराध का किया जाना भी साबित नहीं होता है। परिणामतः अवधारण बिंदु संख्या (ए) एवं (बी) का विनिश्चय तद्नुसार किया जाता है।

18. दोषमुक्ति का आदेश– परिणामस्वरूप इस वाद के सभी ग्यारह अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धार–323, 341, 504 / 34 भा0द0सं0 से **दोषमुक्त** किया जाता है। इस वाद में अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः अभियुक्तगण एवं उनके प्रतिभूओं को उनके द्वारा दाखिल किये गये जमानतीय बंधपत्रों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि बाद आवश्यक कार्यवाही इस वाद के संपूर्ण अभिलेख को नियमानुसार अविलम्ब अभिलेखागार में जमा कराया जाए।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,बक्सर।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाकर एवं शुद्धिकृत करने के उपरांत खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

लेखापित

Sd/-

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष
न्यायाधीश अन्तर्गत एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, बक्सर।

Date of Judgment	10.03.2026
Date of Uploading of Judgment	17.03.2026
Uploaded by	Ratnesh Kumar Singh (Stenographer)